कांग्रेस के चिंतन शिवर का मतलब गांधी परिवार से शुरू, गांधी परिवार पर ही खत्म : डॉ. पूनिया

'सोनिया गांधी को गहलोत सरकार के कुशासन की हकीकत राजस्थान के लोगों से जाननी चाहिये'

जयपुर। कांग्रेस चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिये बयानों पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने पलटवार कर कहा कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में वही रटी-रटाई बातें जिनसे गांधी परिवार खुश होता है, और परिवारवाद इस कदर हावी है कि पूरी कांग्रेस गांधी परिवार के सामने नतमस्तक है, इससे आगे कांग्रेस की कोई सोच नहीं है, ना कोई विजन है, सिर्फ परिवारवाद की राजनीति के इर्द-गिर्द ही कांग्रेस सिमट गई है।

परिवारवाद, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार इत्यादि के कारण ही कांग्रेस पूरे देश से सिमट चुकी है, केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बची है, इन दो राज्यों से भी आने वाले चुनावों में कांग्रेस मुक्त हो जायेगी। कांग्रेस के चिंतन शिवर में सोनिया गांधी कह रही है कि

■ **'शिविर में सोनिया गांधी राजस्थान के किसानों की कर्जमाफी का वादा पूरा करने का अशोक गहलोत से ऐलान करवाएं'**

अल्पसंख्यकों तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, क्या सोनिया गांधी को यह पता नहीं है कि कांग्रेस सरकार के शासन में करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर और नोहर में हिंसा भड़की, कोटा में पीएफआई की रैली को इजाजत किसने दी, क्या सोनिया गांधी को प्रदेश में बहुसंख्यकों पर अत्याचार नहीं दिखते?

इन क्षेत्रों में हिंसा पीड़ितों से मिलने आज तक अशोक गहलोत नहीं गये, हिंसा करने वाले लोगों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, सरकार सिर्फ लीपापोती कर रही है, एक पक्ष के दोष को छुपाने के लिये दूसरे पक्ष के लोगों को फंसाया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस तुष्टिकरण कर वोट बैंक के लिये कर रही है। आजादी से लेकर 50-55 वर्षों तक अल्पसंख्यकों को कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित रखा, इनके विकास व संबल के लिये अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पिछले 8 वर्षों से मोदी सरकार में कार्य हो रहे हैं। सोनिया गांधी को कांग्रेस के चिंतन शिविर से कोई संदेश देना है तो अशोक गहलोत को कहें कि किसान कर्जमाफी का वादा पूरा करें।

अशोक गहलोत को याद रखना चाहिये कि योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिये केन्द्र की मोदी सरकार जमीन पर कार्य कर रही है, वहीं आपने तो किसानों व युवाओं से वादाखिलाफी की है, तो आपके पास जनता को बताने के लिये कुछ है ही नहीं, और जनता 2023 में प्रदेश से कांग्रेस को हमेशा के लिये विदा करने को अभी से तैयार बैठी है।

गांधी परिवार के खत्म होते अस्तित्व की चिंता तक सीमित रहा : चतुर्वेदी

जयपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पार्टी के आयोजित चिंतन शिविर के बारे में कहा कि देश के महत्वपूर्ण विषयों के चिंतन की बजाय गांधी परिवार की चिंता प्रमुखता से शिविर में हावी रही। शिविर जिन अपेक्षाओं को लेकर शुरू किया गया जिसमे देश व प्रदेश की जनता को निराशा हाथ लगी, अपेक्षाओं के उलट शिविर में राजस्थान में जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से बहुसंख्यक वर्ग के अधिकारों का हनन, विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों पर हिंसा और करौली, जोधपुर, छाबड़ा व भीलवाड़ा जैसी घटनाओं पर मुख्यमंत्री का स्वंय आगे आकर यह बयान देना कि प्रदेश में कही दंगा नहीं हुआ। प्रदेश के युवा, महिला, किसान, बेरोजगार की अपेक्षा पर कुठाराघात हुआ साथ ही प्रदेश की बहन-बेटियों से दुष्कर्म पर कांग्रेस के आला नेताओं के द्वारा जिक्र नही करना कांग्रेस की जनता के प्रति चिंता दर्शाता है। चतुर्वेदी ने बताया कि एक बार फिर कांग्रेस के नेताओं में गांधी व नोन गांधी का भेद स्पष्ट नजर आया।

2008 में हुए जयपुर बम ब्लास्ट में मरे लोगों के लिये लोगों ने चांदपोल हनुमान मंदिर में 1100 दीपकों से आरती उतारी।

प्रदेश में नए करोना संक्रमितों की संख्या में थोड़ी कमी आई

राज्य में शुक्रवार को 70 नए संक्रमित मिले, इससे पहले 80 रोगी पाए गए थे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में शुक्रवार को करोना संक्रमण के मामलों में थोड़ी कमी आई है। इसके चलते राज्य में 70 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं इस बीच 92 मरीजों के ठीक होने के साथ एक्टिव केस घटकर 616 रह गए हैं।

प्रदेश में शुक्रवार को 12 जिलों में 70 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले शनिवार को 80 रोगी पाए गए थे। इधर आज राजधानी जयपुर में थोड़ी वृद्धि के बाद 49 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा अलवर में 10, धौलपुर में 6, जोधपुर और चूरू में 3-3, अजमेर और उदयपुर में 2-2 तथा बीकानेर, दौसा, गंगानगर, झालावाड़ और कोटा में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इस बीच 21 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनूं, करौली, नागौर, पाली,

■ **राजधानी जयपुर में सर्वाधिक 49 नए मरीज पाए गए हैं।**

■ **प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 92 संक्रमितों के ठीक होने से एक्टिव केस घटकर 616 रह गए है।**

प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है।

प्रदेश में शुक्रवार को रिकवरी में सुधार हुआ है। इस दौरान 92 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस घटकर 616 रह गए हैं। हालाकि अभी सर्वाधिक 390 मामले राजधानी जयपुर में है। इसके अलावा धौलपुर में 100 मरीजों का इलाज चल रहा है।

उधर प्रदेश में शुक्रवार को करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालाकि अब तक इस बीमारी से राज्य में 9554 लोगों मृत्यु हो चुकी है।

जगतपुरा में 5 नए संक्रमित मिले

राजधानी जयपुर में शुक्रवार को 24 स्थानों पर नए करोना संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 5 नए मरीज जगतपुरा में पाए गए हैं। इसके अलावा जवाहर नगर में 4, गोपालपुरा, मानसरोवर, सोड़ाला और वैशाली नगर में 3-3 तथा बापू नगर, बरकत नगर, जौहरी बाजार, झोटवाड़ा, खातीपुरा, मालवीय नगर, मुरलीपुरा, पुरानी बस्ती, सांगानेर व शास्त्री नगर में 2-2 और अजमेर रोड, बगरू, सी-स्कीम, दुर्गापुरा, घाटगेट, एमडी रोड, टोंक रोड और विराट नगर में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इस बीच जयपुर में 74 मरीज ठीक हुए हैं।

पहले दिन 65 फीसदी अभ्यर्थियों ने दी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा

निर्धारित साढ़े पांच लाख में से साढ़े तीन लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी

जयपुर,(कासं)। प्रदेश में 4588 पदों के लिए 470 परीक्षा केंद्र पर शुक्रवार से शुरू हुए कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के पहले दिन 65 फीसदी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस बीच नकल रोकने के लिए सेंटर पर जैमर लगाए।

एडीजी विनीता ठाकुर ने बताया कि पहले दिन निर्धारित साढ़े पांच लाख में

■ **परीक्षा सेंटर पर नकल रोकने के लिए जैमर लगाए गए**

से साढ़े तीन लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वहीं दूसरी ओर राजधानी जयपुर सहित अन्य शहरों में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ के कारण आज बसों में सफर करने वाले आम आदमी को परेशानी हुई। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार ने रोडवेज बसों को नि:शुल्क किया गया हैं। लाखों अभ्यर्थियों के होने के कारण बस स्टेण्डों पर इनकी भीड़ ज्यादा हो रही हैं। इसके चलते आम यात्रियों को चार दिन थोड़ी परेशानी का सामना करना होगा।

नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए है। वहीं परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा पुलिस के साथ एसओजी और एटीएस की टीमे भी निगरानी रख रही है।

उधर परीक्षा की पहली पारी सुबह नौ बजे शुरू हुई और दूसरी पारी अपराह्न तीन बजे शुरू हुई। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से तीस मिनट पहले तक केंद्र में प्रवेश दिया गया। हालाकि इस बीच परीक्षा में नकल रोकने के लिए युवतियों की ज्वैलरी उतरवाने के साथ पूरी आस्तीन के कपड़ों कैंची से काटकर आधी बाजू का किया गया। कई सेंटरों पर अभ्यर्थियों को चप्पल तक पहन कर नहीं घुसने दिया। ऐसे में तपती सड़क पर नंगे पैर अभ्यर्थी दौड़ते नजर आए।

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिये रोडवेज में नि:शुल्क आवागमन के कारण बसें ऊपर तक भरी हुई चली। इस कारण आम यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

'हर्षोल्लास से मनाएं बुद्ध जयंती'

जयपुर, (का.सं.)। भगवान बुद्ध शिक्षा एवं समाज उन्नतीय संस्था की ओर से इस बार 16 मई को बैशाखी पूर्णिमा पर बुद्ध जयंती नये भवन के बजाय मालवीय नगर पर परम्परागत स्थल पर ही मनाई जायेगी। संस्था प्रधान राधेश्याम कोली ने बताया कि इसके बाद विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जायगा। इस कार्यक्रम को हर्षोल्लास से मनाएं। तथागत बुद्ध विचारों को अंगीकार कर परिवार को उन्नत,प्रगतिशील, संस्कारित, विज्ञानी बनाकर सुखहाल बनाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि विश्व आराध्य बुद्ध के दर्शन एवं उपदेशों से नेक कार्य और ज्यादा प्रभावी होने से सबका मंगल समाहित है। यू.एन.ओ. सहित कई राष्ट्र एवं देश बुद्ध के विचार से मानवीयता, संस्कार एवं आदर्श स्थापित किये हुए हैं। मानव को जीवन के कार्यो में बेमानी नहीं अपितु सकारात्मक एवं रचनात्मक परिणाम चाहिए। मुख्यमंत्री से अपील है कि चिन्तन शिविर के समापन से पूर्व 'बुद्ध जयन्ति' का राजकीय अवकाश घोषित करना ही एक विकल्प है। इससे आमजन में भारी उत्साहवर्धन होगा। वे नयेजोश, उमंग से भर जायेंगे, संकीर्णता समाप्त होगी तो निश्चय ही लोग अपने परिवार एवं समाज के साथ सरकारी सेवाओं में भी नवाचार, सृजन, उन्नत एवं प्रगतिशील होंगे।

प्रो. नीलिमा सिंह को आरटीयू कुलपति का अतिरिक्त प्रभार

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक आदेश जारी कर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (आरटीयू) के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार अग्रिम आदेशों तक कोटा विश्वविद्यलालय, कोटा की कुलपति प्रो. नीलिमा सिंह को प्रदान किया है।

आदर्श आचार संहिता के लिए दिशा निर्देश जारी

जयपुर, (का.सं.)। राज्य में आगामी नगरीय निकायों के उप चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 10 जिलों की 14 नगरीय निकायों में 17 सदस्यों के 29 मई को होने वाले उप चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देश जारी किये है।

आयोग की विशिष्ठ शासन सचिव शैली किशनानी ने इस संबंध में जारी आदेश में बताया कि उप चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव समाप्ति तक मंत्रीगण शासकीय दौरे पर नहीं जाएंगे। केवल कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण जहां संबंधित विभाग के मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा, लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजनी होगी। आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मंत्रीगण उप चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में दौरे पर रहे तो वे किसी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर लालबत्ती या सायरन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मंत्रीगण उप चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाया जाएगा।

बिना लाइसेंस कैसे चल रहे हैं डॉग ब्रीडिंग सेंटर्स : हाईकोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय और राज्य के प्रमुख पशुपालन सचिव, डीएलबी, नगर निगम, औषधि नियंत्रक और विधि आयोग सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि प्रदेश में बिना लाइसेंस डॉग ब्रीडिंग सेंटर्स कैसे चल रहे हैं। इसके साथ ही अदालत ने यह भी पूछा है कि कुत्तों की दो नस्ल के बीच क्रॉस ब्रीडिंग करवाकर नई नस्ल तैयार करने को रोका क्यों नहीं जा रहा है। जस्टिस प्रकाश गुप्ता और जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश ह्यूमन सेटलमेंट टेक्नोलॉजी सेंटर की जनहित याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता नीरजा खन्ना ने अदालत को बताया कि शहर में करीब अस्सी हजार आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कुत्ते के काटने की आठ हजार से अधिक घटनाएं हुई हैं। यानी रोजना करीब बीस लोगों को कुत्तों ने काटा था। जबकि दूसरी ओर नगर निगम में सिर्फ 518 कुत्तों का की पंजीकरण है। हाल ही में एक बच्चे को पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। याचिका में कहा गया कि देश में दस तरह की नस्ल के कुत्तों को पालने पर पाबंदी लगी हुई है। इस नस्ल के कुत्ते बेहद खूंखार माने जाते हैं। इसके अलावा कई ब्रीडिंग सेंटर बिना लाइसेंस के चल रहे हैं और यहां खतरनाक कुत्तों की अलग-अलग नस्ल को आपस में क्रॉस ब्रिडिंग करवाकर नई नस्ल पैदा की जा रही है। यह नस्ल इंसान के लिए बेहद खतरनाक साबित होती है। याचिका में यह भी कहा गया कि डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स, 2017 के तहत ब्रिडर्स के पास उसका लाइसेंस होना जरूरी है। वहीं आयात नीति, 2016 के तहत व्यावसायिक ब्रिडिंग के लिए कुत्तों के आयात करने पर भी रोक है।

राष्ट्रीय लोक अदालत आज

जयपुर, (का.सं.)। इस वर्ष की राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई शनिवार को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ सहित प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता मंचों एवं अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ, जोधपुर में न्यायाधिपति एम.एम. श्रीवास्तव, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय, (मुख्य संरक्षक) एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 मई को प्रात: 10 बजे राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ किया जावेगा। लोक अदालत में करीब 7.45 लाख मामलों में समझाइश होगी।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर उप सचिव-प्रथम ने बताया की राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, में न्यायाधिपति अशोक कुमार गौड़, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में पदासीन न्यायाधिपति एवं सेवानिवृत्त न्यायाधिपति, राजकीय महाधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्तागण, राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशान के अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं रालसा के पदाधिकारी, पक्षकारगण एवं कर्मचारीगण की मौजूदगी में 14 मई को प्रात: 10 बजे राजस्थान उच्च न्यायालय (न्यू बिल्डिंग) के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया जावेगा।

इस बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टोंक जिले में मोटर वाहन दुर्घटना दावा मामलों के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक के परिसर में बीमा कम्पनी के स्थानीय स्तर के अधिकारियों को बुलाकर प्री-काउंसलिंग सेशन करवाए गए।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

तीये की बैठक

अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हम मेरी पूजनीया माताजी

श्रीमती गुलाब देवी

धर्मपत्नी स्व. श्री बाबूलालजी सैनी का स्वर्गवास दिनांक 12.05.2022 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 14.05.2022 को सायं 5.00 से 6.00 बजे तक शिव पार्क, कपडा मार्केट के पास, सीकर हाउस, जयपुर पर रखी गई है।

शोकाकुल- मनोज (पुत्र), हनुमान सहाय (देवर) मो.7737803374, 9928528159

अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि

रेखा कुमावत

धर्मपत्नी धर्मेन्द्र कुमावत का आकस्मिक निधन 12.05.2022 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 14.05.2022 को निवास भिंडावाली ढाणी, ग्राम आलीसर, वाया कालाडेरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर पर सायं 5.00 से 6.00 बजे तक होगी।

शोकाकुल- गोपाललाल, सीताराम, कैलाश, छीतरमल, रामकिशोर (ससुर), अभिराज, मोहित (पुत्र) एवं समस्त साल्डिवाल परिवार

मो. 9828083379, 9928653618, 9660434430

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य श्री कैलाश चन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री शंकर लाल, जाति-जांगिड, निवासी-ग्राम भोपुर तहसील टोडाभीम, जिला करौली/हाल निवासी-बजरंग विहार कॉलोनी, हिण्डोन रोड, महुआ, तहसील महुआ, जिला दौसा (राज.) के हैं। मेरे अभिभाष्य का पुत्र उमेश चन्द शर्मा मेरे अभिभाष्य के कहे में नहीं है, वह समाज में मेरे अभिभाष्य का अपमान करता है एवं अपनी मनमर्जी चलाता है, इसलिये मेरे अभिभाष्य ने अपने पुत्र उमेश चन्द शर्मा को अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है तथा आज के बाद कोई भी मेरे अभिभाष्य के पुत्र उमेश चन्द शर्मा के साथ किसी प्रकार का कोई लेन देन या संव्यवहार करता है या मुकदमा आदि करता है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी, मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी या लेना देना नहीं होगा।
दिनांक-13.05.2022 (अशोक कुमार अवस्थी) एडवोकेट, मो.9314390628

खोया पाया

मेरे फ्लैट संख्या 503 नमन रेजिडेन्सी धौलाई, सांगानेर, जयपुर की मूल रजिस्ट्री कही गुम हो गयी है। कृपया मिलने पर सूचित करें। अर्चित जैन-9167457695

मेरे 2/449, जवाहर नगर, जयपुर का अदेय प्रमाण पत्र जो कि ठाकुरदास पुत्र श्री भोजराज के नाम है जवाहर नगर मामा के होटल के आसपास में 22.03.2022 को कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। प्रेम कुमार विश्नोई-9351335982

महाराणा प्रताप नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विश्वविद्यालय नगर के भू संख्या पुराना 144 व नया 73 के ओरिजनल साईट प्लान कहीं खो गया है मिलने पर सूचित करें-श्रीमती फूल चंद-मोबाइल-9414989132

मेरे प्लाट नंबर बी-86, की योजना वैशाली नगर का ओरिजनल अलॉटमेंट लेटर, कब्जा पत्र, साईट प्लान खो गया है सूचित करें। बजरंग सिंह मोबाइल-7231077405

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य पूरणमल पहाडीया पुत्र स्व. जमन लाल पहाडीया, निवासी-382, पर्वतपुरी, छिपीवाडा, जयपुर के नाम से ग्राम देवरी, पटवार हलका माग्यावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 313 रकबा 1.50 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.50 हैक्टेयर सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि की खातेदारी एवं जमाबन्दी मेरे अभिभाष्य के नाम से होने वह काबिज है साथ ही उक्त भूमि का एक मात्र स्वामी होने से उसे समस्त विधिक अधिकार प्राप्त है। उक्त भूमि पर मेरे अभिभाष्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था का कोई लेना देना नही है ना ही उक्त भूमि के बावत मेरे अभिभाष्य द्वारा किसी को मुख्त्यार नियुक्त किया है। उक्त भूमि के स्वामित्व व कब्जा सम्बन्धी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में सम्पर्क कर अपनी आपत्ति व्यक्त करे। अन्यथा गुजरने मियाद उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति करने का अधिकार नही होगा और ना ही किसी प्रकार का वाद विवाद मान्य होगा। सूचित रहे।
भवदीय
(मनोज कुमार शर्मा) एडवोकेट, मो. 9314673259

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल आजाद अंसारी पुत्र श्री इनायत अंसारी निवासी हाल निवासी मकान नम्बर 286, बरकत नगर, नाई की थड़ी, जयपुर का पुत्र अयाज़ अंसारी आयु 26 वर्ष मेरे मुवक्किल व उसके परिवार के कहने में नहीं है इसलिये मेरे मुवक्किल ने उसे अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। अब मेरे मुवक्किल व उसके परिवार का उससे कोई लेना देना नहीं है। जो कोई भी अयाज अंसारी से संव्यवहार करेगा अथवा किसी भी तरह का लेन-देन करेगा उसकी समस्त जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। अयाज अंसारी के किसी भी कृत्य के लिये मेरा मुवक्किल व उसका परिवार जिम्मेदार नहीं होगा।
मोहम्मद हारून, एडवोकेट, मो. 9829184976

नाम परिवर्तन

मैंने मेरे पुत्र का नाम हर्षित तोंदवाल से बदलकर ध्रुव तोंदवाल पुत्र कपूरचन्द सैनी रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को ध्रुव तोंदवाल के नाम से जाना जावें। पता-बाण्याका की ढाणी जयसिंहपुरा खोर जयपुर

मैंने अपना नाम विजय कुमार से बदलकर विजय कुमार गोधवानी रख लिया है। भविष्य में मुझे विजय कुमार गोधवानी के नाम से ही जाना जाए। 2-ई/217, चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान-302021

I Rajendra Kumar Singha in my Army Documents My Wife Name/ Date of Birth wrongly mentioned as Meera and Date of Birth wrongly mentioned as Meera and Date of Birth 25.03.1986. His Correct Name is Meera Singha and Date of Birth 01.05.1989. Address: Rajendra Kumar Singha S/o Late Jagat Singha, Vill-Ghaniwali Mukam Road, Post-Malugram Shivbari Dist-Cachar (Silchar), State-Assam-788001

सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री कुलदीप शर्मा पुत्र श्री पवन शर्मा निवासी 189, गुरूजम्भेश्वर नगर ए, वैशाली नगर, जयपुर,ने श्री अंकित पटेल पुत्र श्री नरोतम पटेल, श्रीमती मनीषा पटेल पत्नी श्री अंकित पटेल 22, पटेल कालोनी सरदार पटेल मार्ग सी- स्कीम जयपुर से भम्भोरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 243 रकबा 3.80 हैक्टेयर, 242/1349 रकबा 0.03 हैक्टेयर 242/ 1350 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल रकबा 3.92 है हैक्टेयर है के बेचान का इकरारनामा निष्पादित किया है इस भूमि के बेचान के बाबत किसी अन्य व्यक्ति को आपति हो तो तुरंत प्रभाव से मेरे या मेरे अभिभाष्य से 9829113512 पर सम्पर्क कर अपनी आपति दर्ज करवा देवें अन्यथा बाद विक्रय पत्र की रजिस्ट्री के किसी प्रकार की कोई आपति मान्य नहीं होगी।
भवदीय
अरूण कुमार कुमावत (एडवोकेट) मोबाइल 9571972352

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल शंकरलाल सिंह पुत्र श्री बृजलाल सिंह उम्र 63 वर्ष जाति राजपूत निवासी मकान नंबर 147, माली कॉलोनी, इमली वाले बाबा की दरगाह के पास, चांदपोल बाहर, जयपुर के पुत्र विक्रम सिंह, रवि सिंह, प्रकाश सिंह उर्फ पिन्टू एवं पुत्रवधुऐं बीनू कंवर, मीनाक्षी कंवर, भारती कंवर मेरे मुवक्किल से आये दिन लडाई-झगडा, गाली-गलोच करते है, दुर्व्यवहार करते है, उन्होंने मेरे मुवक्किल का जीना दूश्वार कर रखा है, इसलिए मेरे मुवक्किल ने अपने तीनों पुत्रों व पुत्रवधुओ को अपनी समस्त चल-अचल संपत्ति से बदेखल कर दिया है, आज से मेरे तीनों पुत्रों व पुत्रवधुओं का मेरे मुवक्किल व उसकी चल-अचल संपत्ति से कोई संबंध व हक अधिकार नहीं रहा है तथा उनके द्वारा किये जाने वाले संव्यवहार, लेन-देन व कार्यों के वारे में मेरे मुवक्किलान की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अतः सूचित रहे।
(अब्दुल कयाम) एडवोकेट, मो. 9887325810

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार विविद (मुत्तफरिक) वाद सं. उ. 9/20
विषय: उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी-नाम महेश कुमार शर्मा
पुत्र प्रा. गजेन्द्र कुमार शर्मा दत्तक कुसुम शर्मा
जाति ब्राह्मण
विवाद स्थान: प्लाट नं.-सी-382, कुसुम विहार जगतपुरा/ A-13 छत्रसाल नगर मालवीय नगर जयपुर
मृतक:- कुसुम शर्मा D/o हरिप्रसाद शर्मा की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक: 16/5/22
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थी/ प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम कुसुम शर्मा पुत्री श्री हरिप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी कुसुम विहार जगतपुरा का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे।
अत: उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 16 माह 5 सन् 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 22 माह 3 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्र. सं. 10 जयपुर महानगर (प्रथम) (मुख्यालय) सांगानेर
मोहर अदालत

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 139/22
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
नाम प्रार्थी (1) श्रीमती ज्योति खण्डेलवाल पत्नि स्व. श्री चन्द्र प्रकाश जाति महाजन (2) हिमांशी खण्डेलवाल पुत्री श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल (नाबालिग) विवाद स्थान प्लाट नं. बी-218, नेहरू नगर, पुलिस थाना, शास्त्री नगर, जयपुर।
मृतक चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 02.07.22
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री जीवनराम जाति महाजन निवासी बी-218, नेहरू नगर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 02 माह 07 सन् 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 11 माह 05 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम जिला एवं सैंशन न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय
मोहर अदालत

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लि. के नाम से जाना जाता था)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022
प्राधिकृत अधिकारी - माजिद खान संपर्क नम्बर - 9828057866-9874702021

परिशिष्ट-IV-ए
(नियम 8 (6) का प्रावधान देखें)
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री की सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ सहपठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन अचल सम्पत्तियों की बिक्री करने के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना/एतद् द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप से ऋणग्रहिता (ओं) व जमानती (यों) को नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल सम्पत्तियाँ सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित रखी गयी है तथा इन सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा आईडीएफसी बैंक लि. अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने ले लिया है। इन सम्पत्तियों की बिक्री 31.05.2022 को "जहाँ है जैसी है" "जो कुछ है यह हैं" तथा "जो कुछ है वहाँ है" के आधार पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट होम फायनेंस लिमिटेड) को 24.04.2021 को बकाया रुपये 23,94,